

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/23

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवन विज्ञान संकाय अन्तर्गत पर्यावरण जीवविज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

पर्यावरण जीवविज्ञान अध्ययन मण्डल

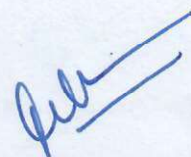
अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. संतोष कुमार अग्निहोत्री विभागाध्यक्ष, शास. आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	डॉ. शिवेश प्रताप सिंह विभागाध्यक्ष, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना(म.प्र.)
28(2) तीन	1.	डॉ. अतुल कुमार तिवारी उपाचार्य, पर्यावरण जीवविज्ञान विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) चार	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) पाँच	1.	डॉ. अंशूरानी पटेल सहायक प्राध्यापक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
	2.	डॉ. अपर्णा सिंह सहायक प्राध्यापक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. अतुल कुमार तिवारी को पर्यावरणजीवविज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)